

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहा

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख 941 का नियम 26)

तारीख 14.02.13 से 24.04/13 तक

RTPS APPLICATION NO.: - 250/14.02.13

आदेश पत्रक:

जिला पटना

आदेश का प्रकार: - दाखिल खारीज

दाखिल खारीज बाद सं० 29 / 2013-2014

तारीख: 14.02.13  
आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिग्गो तारीख सहित

14.02.13

श्री/श्री मतो डाशा देवी  
पति/पति श्री रविन्द्र सिंह  
ग्राम आलावलपुर पो० आलावलपुर  
थाना गौदीचक जिला पटना दिनांक 14.02.13 को  
केवाला सं० 13686 दिनांक 01.08.2008 के  
/उत्तराधिकार के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है

गौजा का नाम	थाना सं०	खता सं०	खेसरा	रकबा	लगान
अलावलपुर	63	187	2785	0-02	1.20
		200	2587	0-02	
		187	2521	0-04	
		14	2562	0-05	
		187	2786	0-01.333	
				<u>0-14-333</u>	

मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु देना अभिलेख दिनांक 21.02.13 को उपास्थापित करें।  
लेखापित एवं संशोधित

अंचलाधिकारी  
फतुहा।

अंचलाधिकारी  
फतुहा।

14.02.13

15.03.13

अभिलेख उपस्थापित है। हल्का कर्मचारी का जॉब प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि श्री जमा देवी विद्या राजनारायण सिंह पं० स्व० चक्र सिंह के नाम से अयत है।  
पल्लु आवेदित खाना 200 रकबा 2587, रकबा - 0.02 ए०  
गैर अजलना अयत है।

अलावलपुर

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका के खाना 200 रकबा - 2587 रकबा - 0.02 ए० के रकबा लेने संबंधित खाना प्रमाणित है।  
अभिलेख सं० 16/04/13 को उपास्थापित है।  
लेखापित एवं संशोधित

अलावलपुर

अलावलपुर

**न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां**  
**आदेश**

पृ० संख्या:-02

दाखिल खारीज बाद सं०.....29...../2012-2013

हल्का सं०.....03.....

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित
<p>04/11</p> <p>11/04/11</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है। आवेदक/आवेदिका उपस्थित/अनुपस्थित। आवेदक/आवेदिका के स्तर से उपरोक्त नोटिस के माध्यम से मांगी गई वांछित साक्ष्य आज तक अप्राप्त है। उक्त वांछित साक्ष्य के वगैर दाखला स्वीकृत करना संभव प्रतीत नहीं होता है, अतः ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त वांछित साक्ष्य के अभाव में आवेदक/आवेदिका के आवेदन को <u>खारिज</u> किया जाता है। आवेदक/आवेदिका अगर चाहें तो अपने हक/हिस्से को प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में जा सकते है</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p align="center">↓</p> <p>अंचलाधिकारी फतुहां।</p>	<p align="center">↓</p> <p>अंचलाधिकारी फतुहां।</p>